महत्वपूर्ण

संख्या–652 / सैंतीस–2–2023–1(49) / 2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
बादशाहबाग, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः: दिनांकः: 31 मार्च, 2023

विषय–प्रदेश में गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य(सेक्सड सीमेन) के उपयोग की योजना के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) में संशोधन के संबंध में।

––

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–1037(2) / 01 / बीसी–एसएस / यूपीएलडीबी / 2021–22 दिनांक 14 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि प्रदेश में गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–4128 / सैंतीस–2–2018–1(49) / 2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन) निर्गत की गयी थी, उक्त शासनादेश के प्रस्तर–7 (ख) प्रक्रिया (3), (4) एवं (15) में निम्नवत व्यवस्था थी :–

प्रस्तर–7(ख) प्रक्रिया (3)

''बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को छोड़कर योजना में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सेक्स्ड सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सापेक्ष प्रति गर्भाधान प्रति पशु रू0 300 / – (रूपये तीन सौ मात्र) पशुपालकों से लिया जायेगा, जो राजकोष में उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से जमा किया जायेगा।''

प्रस्तर–7(ख) प्रक्रिया (4)

''बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सापेक्ष प्रति गर्भाधान मात्र रू0 100 / – (रूपये सौ मात्र) लेवी के रूप में पशुपालक से लिया जायेगा, जो राजकोष में उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से जमा किया जायेगा।''

प्रस्तर–7(ख) प्रक्रिया (15)

''योजना में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सेक्स्ड सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष प्रति कृत्रिम गर्भाधान रू0 300 / – (रूपये तीन सौ मात्र) बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य जनपदों के पशुपालकों से तथा रू0 100 / – (रूपये एक सौ मात्र) प्रति कृत्रिम गर्भाधान बुन्देलेखण्ड क्षेत्र के जनपदों में पशुपालकों से लिया जायेगा। प्राप्त लेवी उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से कोषागार में जमा कराई जायेगी।''

3— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमन) के उपयोग की स्वीकार्यता को पशुपालकों के मध्य बढ़ाये जाने हेतु संदर्भित शासनादेश संख्या—4128 / सैंतीस—2—2018—1 (49) / 2017 दिनांक 07.12.2018 के प्रस्तर—7 (ख) प्रकिया (3), (4) एवं (15) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

''प्रदेश के समस्त जनपदों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सापेक्ष प्रति गर्भाधान प्रति पशु रू0 100 / — (रूपये एक सौ मात्र) पशुपालकों से लिया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा।''

4— शासनादेश सं0—4128 / सैंतीस—2—2018—1 (49) / 2017 दिनांक 07.12.2018 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

5— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 31-03-2023 14:06:59
Reason: Approved
(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—652(1) / सैंतीस—2—2023—1(49) / 2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक / संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त उप निदेशक / मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।